[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, तारीख 25 जुलाई, 2014

अधिसूचना

आय-कर

का.आ. 1902(अ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 44कख के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (**सातवाँ**संशोधन) नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में, उपाबंध 2 के प्ररुप सं. 3गक, प्ररुप सं. 3गख और प्ररुप सं. 3गघ के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररुप रखे जाएंगे, अर्थात् :-

प्ररुप सं. 3गक

[नियम 6छ(1)(क) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट उस दशा में, जहां किसी व्यक्ति के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की किसी अन्य विधि के अधीन संपरीक्षा की गई है

*मैं/हम यह रिपोर्ट करता हूँ/करते हैं कि *मैंने/हमने/मैसर्स ..... (निर्धारिती का नाम और पता, स्थायी खाता संख्यांक सहित उल्लिखित करें) ने ..... अधिनियम के उपबंधों के अधीन ..... की कानूनी संपरीक्षा की है और *मैं/हम अपनी/उनकी तारीख ..... की संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति निम्नलिखित प्रत्येक की एक प्रति सहित इसके साथ संलग्न करता हूं/करते हैं--

(क)..... से प्रारंभ ..... को समाप्त हुई अवधि के लिए संपरीक्षित *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी ;

(ख) ..... को यथा विद्यमान संपरीक्षित तुलन-पत्र, और

(ग) ऐसे दस्तावेज, जिन्हें उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय की विवरणी तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उसके संलग्नक के रूप में घोनित किया गया है ।

2. धारा 44कख के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशिन्टियों का विवरणी प्ररुप सं. 3गघ में इसके साथ संलग्न है ।

3. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा लेखा बहियों की परीक्षा, जिसके अंतर्गत अन्य सुसंगत दस्तावेजों के अनुसार और *मुझे/हमें दिए गए स्प-टीकरणों के अनुसार उक्त प्ररुप 3गघ में दी गई विशिन्टियां निम्नलिखित संप्रेक्षण/विशे-नक के अधीन रहते हुए सत्य और सही हैं, यदि कोई हों :

क.

ख.

ग.

.....

**(हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टॉप/मोहर)

स्थान :.....

तारीख : .....

हस्ताक्षकर्ता का नाम .....

पूरा पता .....

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो उसे काट दें ।
2. **यह रिपोर्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।
3. जहां इस प्ररुप में की किसी अपेक्षा का उत्तर नहीं में अथवा विशे-नक के साथ दिया गया है, वहां उसके कारण बताएं ।
4. वह व्यक्ति, जो इस संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है, अपनी ऐसी सदस्यता संख्या/व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्या/ऐसे प्राधिकार के प्रति निर्देश उपदर्शित करेगा, जिसके अधीन वह इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का हकदार है ।

प्ररुप सं. 3गख

[नियम 6छ(1)(ख) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट

नियम 6छ के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दि-ट व्यक्ति की दशा में

*मैं/हमने ..... (नाम) ..... (पता) इससे संलग्न 31 मार्च, ... से प्रारंभ होने वाली ..... को समाप्त होने वाली अवधि के के लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा की जांच की है ।

2. *मैं/हम यह प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि तुलन-पत्र और *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा ..... स्थित मुख्यालय और** ..... स्थित शाखाओं में रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप हैं ।

3.(क) *मैं/हम निम्नलिखित संप्रेक्षण/टिप्पणियां/विसंगतियां/असंगतियां, यदि कोई हों, रिपोर्ट* करता हूं/करते हैं :

(ख) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए,--

(अ) *मैं/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्प-टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे ।

(आ) *मेरी/हमारी राय में, जहां तक बहियों की *मेरे/हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है, निर्धारिती के मुख्यालय और शाखाओं द्वारा उचित बहियां रखी गई हैं ।

(इ) *मेरी/हमारी राय में,*मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमें दिए गए स्प-टीकरणों के अनुसार, लेखाओं पर लिखे गए टिप्पणों के, यदि कोई हों, साथ पठित उक्त लेखाओं में निम्नलिखित को सत्य और सही रूप में प्रदर्शित किया गया है :-

(i) तुलन-पत्र की दशा में, 31 मार्च, ... को यथा विद्यमान निर्धारिती के कार्यकलापों की स्थिति को ; और

(ii) *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा की दशा में, उस तारीख को समाप्त हुए व-र्ा के लिए निर्धारिती का *लाभ/हानि या *अधिशे-ा/कमी को ।

4. धारा 44कख के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विशि-टियों का विवरण प्ररुप 3गघ में संलग्न है ।

5. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा *मुझे/हमें दिए गए स्प-टीकरणों के अनुसार उक्त प्ररुप सं. 4गघ में दी गई विशि-टियां सत्य और सही हैं, यदि कोई हों :

क.

ख.

ग.

.....

**(हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टॉप/मोहर)

स्थान :.....

तारीख : .....

हस्ताक्षकर्ता का नाम .....

पूरा पता .....

टिप्पण :

1. *जो लागू ना हो उसे काट दें ।

2. **शाखाओं की कुल संख्या बताएं ।

3. ***यह रिपोर्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए पात्र व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी ।

4. वह व्यक्ति, जो इस संपरीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है, अपनी ऐसी सदस्यता संख्या/व्यवसाय प्रमाणपत्र संख्या/ऐसे प्राधिकार के प्रति निर्देश उपदर्शित करेगा, जिसके अधीन वह इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का हकदार है ।

प्ररुप 3गघ

[नियम 6छ(2) देखिए]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन विशि-टियां, जो अपेक्षित हैं, का विवरण

भाग - क

1. निर्धारिती का नाम

2. पता

3. स्थायी लेखा संख्या (स्था.ले.सं.)

4. क्या निर्धारिती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पाद-शुल्क, सेवा कर, विक्रय कर, सीमाशुल्क आदि के संदाय का दायी है, यदि हां तो उसके लिए आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्यांक या अन्य पहचान संख्या दें ।

5. प्रास्थिति

6. पूर्ववर्ती से..... को .....

7. निर्धारण वर्ष

8. धारा 44कख के सुसंगत खंड, जिसके अधीन लेखा संपरीक्षा किया गया है, उपदर्शित करें ।

9.(क) यदि कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संगम है तो भागीदारों/सदस्यों के नाम और लाभ में उनके अंश का अनुपात उपदर्शित करें ।

(ख) यदि पिछले वर्ष की अंतिम तारीख से भागीदारों में या सदस्यों में या लाभ में उनके अंश के अनुपात में कोई परिवर्तन हुआ है तो ऐसे परिवर्तन की विशि-टियां दें ।

10.(क) कारबार या वृत्ति की प्रकृति (यदि पूर्ववर्ती के दौरान एक से अधिक कारबार या वृत्ति चलाई गई हैं तो प्रत्येक कारबार या वृत्ति की प्रकृति) ।

(ख) यदि कारबार या वृत्ति की प्रकृति में कोई परिवर्तन हुआ है तो ऐसे परिवर्तन की विशि-टियां दें ।

11.(क) क्या लेखा-बहियों की धारा 44कक के अधीन विहित किया गया है, यदि हां तो इस प्रकार विहित की गई बहियों की सूची दें ।

(ख) रखी गई लेखा बहियों की सूची और पता, जिस पर लेखा बहियों को रखा जाना है ।

(लेखा-बहियां कंप्यूटर प्रणाली में रखे जाने की दशा में, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली द्वारा सूचित लेखा-बहियों का उल्लेख करें यदि लेखा बहियां को एक स्थान पर नहीं रखा गया है तो कृपया प्रत्येक अवस्थान पर रखी गई लेखा बहियों के ब्यौरों के साथ प्रत्येक अवस्थान के पते दें)

(ग) परीक्षा किए गए लेखा-बहियों की सूची और सुसंगत दस्तावेजों की प्रकृति ।

12. क्या लाभ और हानि लेखा में अनुमान के आधार पर निर्धार्य किन्हीं लाभों और अभिलाभों को सम्मिलित किया गया है, यदि हां तो उनकी राशि और सुसंगत धारा (44कघ, 44कङ; 44कच, 44ख 44खख, 44खखक, 44खखख, अध्याय 12-छ की पहली अनुसूची या कोई अन्य सुसंगत धारा) उपदर्शित करें ।

13.(क) पूर्व व-र्ा में अपनाई गई लेखा पद्धति ।

(ख) क्या अपनाई गई लेखा पद्धति में पूर्व व-र्ा के ठीक पूर्ववर्ती व-र्ा में अपनाई गई लेखा पद्धति की तुलना में कोई परिवर्तन किया गया है ।

(ग) यदि ऊपर (ख) का उत्तर हां में है तो ऐसे परिवर्तन के ब्यौरे दें और उसके लाभ या हानि पर पड़े प्रभाव का भी उल्लेख करें ।

क्रम सं.	विशि-टियां	लाभ में वृद्धि (रुपए में)	लाभ में कमी (रुपए में)

(घ) यदि पूर्ववर्-ा में अपनाई गई लेख पद्धति में, धारा 145 के अधीन विहित मानदंडों से यदि कोई विचलन है तो उसके ब्यौरे दें और उसके लाभ या हानि पर पड़े प्रभाव का भी उल्लेख करें ।

14.(क) पूर्व व-र्ा में अंतिम स्टाक का मूल्यांकन करने के लिए अपनाई गई पद्धति ।

(ख) धारा 145क के अधीन विहित मूल्यांकन की पद्धति से विचलन की दशा में, उसके ब्यौरे दें और उसके लाभ या हानि पर पड़े प्रभाव का भी कृपा उल्लेख करें :

क्रम सं.	विशिन्टियां	लाभ में वृद्धि (रुपए में)	लाभ में कमी (रुपए में)

15. व्यापार स्टाक में संपरिवर्तित पूंजी आस्ति की निम्नलिखित विशिन्टियां दीजिए :-

(क) पूंजी आस्ति का वर्णन ;

(ख) अर्जन की तारीख ;

(ग) अर्जन की लागत ;

(घ) वह राशि, जिस पर आस्ति व्यापार स्टाक में संपरिवर्तित की गई है ।

16. लाभ और हानि लेखा में जमा नहीं की गई राशियां, जो--

(क) धारा 28 की परिधि के अंतर्गत आने वाली मदें हैं ;

(ख) प्रोफार्मा क्रेडिट, वापसी, सीमाशुल्क प्रदाय या उत्पाद-शुल्क प्रदाय या सेवा कर या विक्रय का प्रदाय या मूल्यवर्धित कर हैं, जहां संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्रेडिट, वापसी या प्रतिदायों को शोध्य के रूप में स्वीकार किया जाता है ;

(ग) पूर्व व-र् के दौरान स्वीकार किए गए बढ़ोतरी के दावे हैं ;

(घ) आय की कोई अन्य मद है ;

(ङ) पूंजी रसीद है, यदि कोई हो ।

17. जहांधारा 44गक या धारा 50ग में निर्दि-ट किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए या निर्धारित या निर्धारण योग्य किसी मूल्य से कम के किसी प्रतिकर के लिए पूर्ववर्ती व-र्ा के दौरान कोई भूमि या भवन या दोनों अंतरित किए गए हैं :

संपत्ति के ब्यौरे	प्राप्त या उद्भूत प्रतिपङ्गल	स्वीकार या निर्धारित या निर्धारण योग्य मूल्य

18. यथास्थिति, प्रत्येक आस्ति या आस्तियों के समूह की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की निम्नलिखित रूप में विशि-टियां :-

(क) आस्ति/आस्तियों के समूह का वर्णन ।

(ख) अवक्षयण की दर ।

(ग) यथास्थिति, वास्तविक लागत या अवलिखित मूल्य ।

(घ) व-र्ा के दौरान आस्तियों में वृद्धि/कमी, तारीखों सहित, किसी आस्ति की वृद्धि की दशा में, उसका ऐसा उपयोग आरंभ करने की तारीख, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित के मद्दे समायोजन भी है--

(i) 1 मार्च, 1994 को या उसके पश्चात् अर्जित आस्तियों की बाबत केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन दावा किए गए और अनुज्ञात किए गए केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय,

(ii) मुद्रा विनिमय की दर में परिवर्तन, और

(iii) परिदान या अनुदान या प्रतिपूर्ति, जिस किसी नाम से भी ज्ञात हो ।

(ङ) अनुज्ञेय अवक्षयण ।

(च) वर्ष के अंत में अवलिखित मूल्य ।

19. धारा के अधीन अनुज्ञेय रकम

धारा	लाभ और हानि खाते में जमा की गई रकम	आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार और आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर नियम, 1962 या इस निमित्त जारी किए गए कोई अन्य मार्गनिर्देश, परिपत्र के सुसंगत उपबंधों के अधीन कोई विनिर्दि-ट शर्तें, यदि कोई हों, को भी पूरा करने वाली अनुज्ञेय रकम ।
32कग		
33ककख		
33ककखक		
35(1)(i)		
35(1)(ii)		
35(1)(iiक)		
35(1)(iii)		
35(1)(iv)		
35(2कक)		
35(2कग)		
35ककखख		
35कग		
35कघ		
35गगक		
35गगख		

35गगग		
35गगघ		
35घ		
35घघ		
35घघक		
35ङ		

20.(क) किसी कर्मचारी को दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में संदाय की गई कोई राशि, जहां ऐसी राशि उसे अन्यथा, लाभों या लाभाशों के रूप में देय थी । [धारा 36(1)(ii)]

(ख) धारा 36(1)(फक) में निर्दि-ट रूप में विभिन्न निधियों के लिए कर्मचारी से प्राप्त अभिदाय के ब्यौरें :

क्रम सं.	निधि की प्रकृति	कर्मचारियों से प्राप्त राशि	संदाय के लिए देय तारीख	वास्तविक रकम का संदाय	संबंधित प्राधिकारियों को संदाय की वास्तविक तारीख

21.(क) कृपया पूंजी, वैयक्तिक या विज्ञापन, व्यय आदि की प्रकृति के लाभ और हानि खाते के नामे के ब्यौरों को दीजिए :

प्रकृति	क्रम संख्यांक	विशि-टियां	रकम रुपए में
पूंजी व्यय			

वैयक्तिक व्यय			
किसी स्मारिका, विवरणिका, पुस्तिका, पम्पलेट या किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित ऐसे ही किसी में विज्ञापन व्यय			
किसी क्लब में प्रवेश फीस या शुल्क के रूप में उद्‌भूत व्यय			
किसी क्लब में उपयोग की गई क्लब सेवाओं और सुविधाओं की लागत में उद्‌भूत व्यय			

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन के लिए शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय			
उपर्युक्त के अंतर्गत न आने वाली कोई अन्य शास्ति या जुर्माने के रूप में व्यय			
किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो कोई अपराध है जिसे विधि द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है, उद्भूत कोई व्यय			

(ख) धारा 40क के अधीन अननुज्ञेय रकम :-

(i) उपखंड (i) में निर्दि-ट अनिवासी को संदाय

(अ) संदाय के ब्यौरे, जिस पर कर कटौती नहीं की गई है :

(I) संदाय की तारीख

(II) संदाय की रकम

(III) संदाय की प्रकृति

(IV) पाने वाले का नाम और पता

(आ) संदाय के ब्यौरे, जिस पर कर कटौती की गई है, किंतु पूर्व वर्ष के दौरान या धारा 200(1) के अधीन विहित समय की समाप्ति से पहले पश्चात्वर्ती वर्ष में संदत्त नहीं किया गया है

(I) संदाय की तारीख

(II) संदाय की रकम

(III) संदाय की प्रकृति

(IV) पाने वाले का नाम और पता

(V) कर कटौती की रकम

(ii) उपखंड (ik) में निर्दिष्ट संदाय

(अ) संदाय के ब्यौरे, जिस पर कर कटौती नहीं की गई है :

(I) संदाय की तारीख

(II) संदाय की रकम

(III) संदाय की प्रकृति

(IV) पाने वाले का नाम और पता

(आ) संदाय के ब्यौरे, जिस पर कर कटौती की गई है, किंतु धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले संदत्त नहीं किया गया है

(I) संदाय की तारीख

(II) संदाय की रकम

(III) संदाय की प्रकृति

(IV) संदायकर्ता का नाम और पता

(V) कर कटौती की रकम

(VI) (v) जमा की गई रकमसे अधिक, यदि कोई हों

(iii) उपखंड (iग) के अधीन (जहां कहीं लागू हो)

(iv) उपखंड (iiक) के अधीन

(v) उपखंड (iiख) के अधीन

(vi)उपखंड (iii) के अधीन

(क) संदाय की तारीख

(ख) संदाय की रकम

(ग) पाने वाले का नाम और पता

(vii)उपखंड (iv) के अधीन

(viii)उपखंड (v) के अधीन

(ग) लाभ और हानि खाते में ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या धारा 40ख/40खक के अधीन अननुज्ञेय पारिश्रमिक की रकम और उनकी संगणना ;

(घ) धारा 40क(3) के अधीन अननुज्ञात/समझी गई आय :

(अ) लेखा बहियों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों/साक्ष्यों की परीक्षा के आधार पर क्या नियम 6घघ के साथ पठित धारा 40क(3) के अधीन आने वाले व्यय किसी बैंक को खाता में दिए चैक या खाते दिए बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए हैं, यदि नहीं, कृपया ब्यौरे दें ;

क्रम संख्यांक	संदाय की तारीख	संदाय की प्रकृति	रकम	पाने वाले का नाम और स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध है

(आ) लेखा बहियों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों/साक्ष्यों की परीक्षा के आधार पर क्या नियम 6घघ के साथ पठित धारा 40क(3) में निर्दि-ट संदाय किसी बैंक को खाता में दिए चैक या खाते दिए बैंक ड्राफ्ट द्वारा किए गए हैं, यदि नहीं, धारा 40क(3क) के अधीन लाभ और व्यापार या वृत्ति में अभिलाभ समझी गई रकम के ब्यौरे देंर ;

क्रम संख्यांक	संदाय की तारीख	संदाय की प्रकृति	रकम	पाने वाले का नाम और स्थायी खाता संख्या, यदि उपलब्ध है

(ङ) धारा 40क(7) के अधीन अनुज्ञात नहीं किए गए उपादान के लिए उपबंध ;

(च) धारा 40क(9) के अधीन निर्धारिती द्वारा नियोजक के रूप में संदत्त कोई राशि ;

(छ) किसी आकस्मिक प्रकृति के किसी दायित्व की विशि-टियां ;

(ज) आय के संबंध में, जो कुल आय के भाग के रूप में नहीं है, उद्भूत व्यय के संबंध में, धारा 14क के निबंधन में अननुज्ञेय कटौती की रकम ;

(i) धारा 36(1)(iii) के परंतुक के अधीन अननुज्ञात रकम ।

22. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अधीन अनुज्ञेय ब्याज की रकम ।

23. धारा 40क(2)(ख) के अधीन विनिर्दि-ट व्यक्तियों को किए गए संदायों की विशि-टियां ।

24. धारा 32कग या 33कख या 33कखक या 33कग के अधीन समझे गए लाभों और अभिलाभों की रकम ।

25. धारा 41 के अधीन कर से प्रभार्य लाभ की कोई राशि और उसकी संगणना ।

26. धारा 45ख के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) या (च) में निर्दि-ट किसी ऐसी राशि की बाबत, जिसके लिए दायित्व :-

(अ) पूर्व वर्-ा के प्रथम दिन को पूर्व विद्यमान था, पंरतु किसी पूर्ववर्ती पूर्व वर्-ा के निर्धारण में अनुज्ञात नहीं किया गया था और

(क) पूर्व वर्-ा के दौरान संदत्त किया गया था ;

(ख) पूर्व वर्-ा के दौरान संदत्त नहीं किया गया था ;

(आ) पूर्व वर्-ा में उपगत हुआ था और

(क) धारा 139(1) के अधीन पूर्व वर्-ा की आय की विवरणी प्रस्तुत किए जाने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व संदत्त किया गया था ;

(ख) उपर्युक्त तारीख को या उससे पूर्व संदत्त नहीं किया गया था ।

(बताएं कि क्या बिक्री-कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, या किसी अन्य अप्रत्यक्ष कर, लेवी, उपकर, लाग, आदि को लाभ और हानि लेखा में सम्मिलित किया गया है ।)

27.(क) उन केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्ययों की राशि जिनका पूर्व वर्-ा में फायदा उठाया गया था या उपयोग किया गया था और उस राशि को लाभ और हानि लेख में किस रूप में सम्मिलित किया गया था और बकाया केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्ययों की बकाया को लेख में किस रूप में सम्मिलित किया गया था ।

(ख) लाभ और हानि लेखा में जमा की गई या नामे डाली गई पूर्व अवधि की आया या व्यय की विशि-टियां ।

28. क्या निर्धारिती ने पूर्व व-र्ा के दौरान किसी कंपनी के भाग के रूप में, जो किसी कंपनी की नहीं है, कोई संपत्ति, जिसमें पब्लिक का सारतः धारक 56(2)(viiक) में निर्दि-ट बिना किसी प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के प्राप्त किया है, यदि हां, कृपया उसके ब्यौरे दें ।

29. क्या निर्धारिती ने पूर्व व-र्ा के दौरान, शेयरों के जारी करने के लिए, जिसकी धारा 56(2)(viiख) में निर्दि-ट रूप में शेयरों की वास्तविक बाजार मूल्य अधिक है, कोई प्रतिफल प्राप्त किया है, यदि हां, कृपया उसके ब्यौरे दें ।

30. हुंडी पर उधार ली गई किसी राशि के या उस पर शोध्य ऐसी किसी राशि (जिसके अंतर्गत उधार ली गई राशि पर ब्याज भी है) के ब्यौरे, जिसे किसी पाने वाले के खाते में देय चैक के माध्यम से अन्यथा प्रतिसंदाय किया गया था । (धारा 69घ)

31.(क) पूर्व व-र्ा के दौरान लिए गए या स्वीकृत ऐसे प्रत्येक ऋण या निक्षेप की विशि-टियां, जिसकी रकम धारा 269घघ में विनिर्दि-ट सीमा से अधिक है :-

(i) ऋणदाता या निक्षेपकर्ता का नाम, पता और स्थायी खाता संख्यांक (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध हैं) ;

(ii) लिए गए ऋण या स्वीकार किए गए निक्षेप की राशि ;

(iii) क्या पूर्व व-र्ा के दौरान ऋण या निक्षेप चुकता कर दिया गया था ;

(iv) पूर्व व-र्ा के दौरान किसी भी समय खाते में बकाया अधिकतम राशि ;

(v) क्या ऋण या निक्षेप को किसी पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से अन्यथा रूप में लिया या स्वीकार किया गया था ।

(किसी सरकारी कंपनी, बैंककारी कंपनी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम की दशा में इन विशि-टियों को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है ।)

(ख) पूर्व व-र्ा के दौरान किसी ऋण यानिक्षेप के ऐसे प्रत्येक प्रतिसदांय की विशि-टियां, जिसकी राशि धारा 269न में विनिर्दि-ट सीमा से अधिक है :-

(i) आदाता का नाम, पता और स्थायी खाता संख्यांक (यदि निर्धारिती के पास उपलब्ध है) ;

(ii) प्रतिसंदाय की राशि ;

(iii) पूर्व व-र्ा के दौरान किसी भी समय खाते में बकाया अधिकतम राशि ;

(iv) क्याप्रतिसंदाय, किसी पाने वाले के खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से अन्यथा रूप में किया गया था ।

(ग) क्या लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की परीक्षा के आधार पर खाते में देय चैक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ऋण या जमाराशि लेने या स्वीकार करने अथवा उसका प्रतिसंदाय करने के बारे में प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया है ?

(किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित सरकारी कंपनी, बैंककारी कंपनी या किसी निगम से लिए गए किसी ऋण या जमाराशि के प्रतिसंदाय के मामले में उपर्युक्त (ख) पर विशि-टियां (i) से (iv) और (ग) पर टीका-टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता नहीं है ।)

32.(क) निम्नलिखित रीति में अग्रनीत हानि या अवक्षयण मोक के ब्यौरे उपलब्ध सीमा तक :

क्रम संख्यांक	निर्धारण व-र्ा	हानि/मोक की प्रकृति (रुपए में)	वापस की गई राशि (रुपए में)	निर्धारित की गई राशि (सुसंगत आदेश निर्दि-ट करें)	टिप्पणियां

(ख) क्या कंपनी की शेयरधृति में पूर्ववर्-ा में कोई परिवर्तन हुआ है जिसके कारण पूर्ववर्-ा के पूर्व उपगत हानियों को धारा 79 के निबंधनों के अनुसार अग्रेनित किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है ।

(ग) पूर्व व-र्ा के दौरान निर्धारिती को धारा 73 में निर्दि-ट किसी सट्टेबाजी से उद्भूत हानि हुई है, यदि हां, कृपया उसके ब्यौरे दें ।

(घ) पूर्व व-र्ा के दौरान निर्धारिती को किसी विनिर्दि-ट कारबार के संबंध में धारा 73क में निर्दि-ट किसी सट्टेबाजी से उद्भूत हानि हुई है, यदि हां, कृपया उसके ब्यौरे दें ।

(ङ) किसी कंपनी की दशा में कृपया अभिकथित करें कि क्या कंपनी धारा 73 के स्प-टीकरण में निर्दि-ट रूप में किसी सट्टेबाजी कारोबार करने वाली कंपनी समझी जाती है, यदि हां, कृपया पूर्व वर्-ा के दौरान उपगत सट्टेबाजी की, यदि कोई हों, के ब्यौरे दें ।

33. अध्याय 6क या अध्याय 3 (धारा 10क, धारा 10कक) के अधीन अनुज्ञेय कटौतियों, यदि कोई हों, के धारावार ब्यौरें :

वह धारा, जिसके अधीन कटौती का दावा किया गया है	आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंध के अनुसार अनुज्ञेय रकम और आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर नियम, 1962 के सुसंगत उपबंधों के अधीन विनिर्दि-ट शर्तों को पूरा करता है या इस निमित्त जारी किए गए कोई अन्य मार्गदर्शी सिद्धांत, परिपत्र आदि

34.(क) क्या निर्धारिती से अध्याय 17ख या अध्याय 17खख के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करने या उसे सगृहित करने की अपेक्षा की जाती है, यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित प्रस्तुत करें :-

कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या	धारा	संदाय की प्रकृति	स्तंभ (3) में निर्दि-ट प्रकृति के संदाय या प्राप्ति की कुल रकम	वह कुल रकम जिस पर (4) में से कर की कटौती करने या उसे सगृहित करने की अपेक्षा की गई थी	कुल रकम, जिस पर (5) मे से विनिर्दि-ट दर पर कर कटौती या संग्रहण किया गया था	(6) में से कर कटौती या सग्रहण की रकम	कुल रकम, जिस पर (7) में से विनिर्दि-ट दर से कम दर पर कर कटौती या संग्रहण किया गया था	(8) पर कर कटौती या सग्रहण की रकम	(6) और (8) में केंद्रीय सरकार के प्रत्यय को कर कटौती या कर संग्रहण न जमा किए जाने की रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

(ख) क्या निर्धारिती ने विहित अवधि के भीतर कर कटौती या कर संग्रहण की विवरणी दी है, यदि नहीं, तो कृपया ब्यौरे दें :

कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या (टेन)	प्ररुप का प्रकार	देने के लिए नियत तारीख	देने की तारीख, यदि दी है	क्या कर कटौती या संग्रहण की विवरणी में सभी संव्यवहारों की जानकारी अंतर्वि-ट है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है

(ग) क्या निर्धारिती धारा 201(1क) या धारा 206ग(7) के अधीन ब्याज के संदाय का दायी है, यदि हां, कृपया ब्यौरे दें :

कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्या (टेन)	धारा 201(1क) या धारा 206ग(7) के अधीन ब्याज की रकम संदेय है	संदाय की तारीख के साथ स्तंभ (2) के अतिरिक्त संदत्त रकम

35.(क) किसी व्यापारिक समुत्थान की दशा में व्यापार किए गए मालों की मुख्य मदों के परिणामात्मक ब्यौरे दें :

(i) आरंभिक स्टाक ;

(ii) पूर्व व-र्ा के दौरान किए गए क्रय ;

(iii) पूर्व व-र्ा के दौरान किए गए विक्रय ;

(iv) अंतिम स्टाक ;

(v) कमी/आधिक्य, यदि कोई हो ।

(ख) किसी विनिर्माता समुत्थान की दशा में कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद और उप-उत्पाद की मुख्य मदों के परिमाणात्मक ब्यौरे दें :

अ. कच्ची सामग्री :

(i) आरंभिक स्टाक ;

(ii) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए क्रय ;

(iii) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए उपभोग ;

(iv) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए विक्रय ;

(v) अंतिम स्टाक ;

(vi) तैयार उत्पादों की प्राप्ति ;

(vii) प्राप्ति का प्रतिशत ;

(viii) कमी/आधिक्य, यदि कोई हो ।

आ. तैयार उत्पाद/उप-उत्पाद :

(i) आरंभिक स्टाक ;

(ii) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए क्रय ;

(iii) पूर्व वर्ष के दौरान विनिर्मित मात्रा ;

(iv) पूर्व वर्ष के दौरान किए गए विक्रय ;

(v) अंतिम स्टाक ;

(vi) कमी/आधिक्य, यदि कोई हो ।

उतनी जानकारी दी जाए, जो उपलब्ध हो ।

36. घरेलू कंपनी की दशा में धारा 115ण के अधीन वितरित लाभों पर कर के ब्यौरे निम्नलिखित रूप में दें :-

(क) वितरित लाभों की कुल राशि ;

(ख) धारा 115ण(1क)(i) में निर्दि-ट घटाई गई रकम ;

(ग) धारा 115ण(1क)(ii) में निर्दि-ट घटाई गई रकम ;

(घ) उन पर संदत्त कुल कर ;

(ङ) संदाय की तारीखें राशियों सहित ।

37. क्या कोई लागत संपरीक्षा की गई थी, यदि लागत संपरीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए/पहचान किए गए किसी सामग्री/मद/मूल्य/परिमाण की निरर्हता या असहमति है, यदि हां, तो ब्यौरे दें, ।

38. क्या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन कोई संपरीक्षा की गई थी, यदि लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए/पहचान किए गए किसी सामग्री/मद/मूल्य/परिमाण की निरर्हता या असहमति है, यदि हां, तो ब्यौरे दें, ।

39. क्यावित्त अधिनियम, 1994 की धारा 72क के अधीन कोई लेखा परीक्षा कराधेय सेवाओं के मूल्यांकन के संबंध मेंआयोजित की गई थी, यदि लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट किए गए/पहचान किए गए किसी सामग्री/मद/मूल्य/परिमाण की निरर्हता या असहमति है, यदि हां, तो ब्यौरे दें, ।

40. पूर्ववर्ती पूर्व व-र् के लिए व्यापारावर्त, सकल लाभ से संबंधित ब्यौरे :

क्रम संख्यांक	विवरण	पूर्व व-र्	पूर्ववर्ती पूर्व व-र्
1.	निर्धारिती का कुल व्यापारावर्त		
2.	सकल लाभ/व्यापारावर्त		
3.	शुद्ध लाभ/व्यापारावर्त		

4.	व्यापार स्टॉक/व्यापारावर्त		
5.	खपत/खपत की गई सामग्री/अंतिम उत्पादित माल		

(व्यापारित या विनिर्मित माल या दी गई सेवाओं के मुख्य मद्दों के लिए अपेक्षित ब्यौरे दीजिए)

41. कृपया सुसंगत कार्यवाहियों के साथ आयकर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम, 1957 से भिन्न किसी अन्य कर विधि के अधीन पूर्ववर्ती व-र्ा के दौरान उत्पन्न मांग या जारी प्रतिदाय के ब्यौरे दें ।

.....

*(हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और स्टॉप/मोहर)

स्थान :..... हस्ताक्षकर्ता का नाम .....

तारीख : ..... पूरा पता .....

टिप्पण :

1. *यह प्ररुप और उपाबंध, यथास्थिति, प्ररुप सं. 3गक या प्ररुप सं. 3गख पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है ।

[अधिसूचना सं. 33/2014 फा.सं. 133/1/2014-टीपीएल]

(जे. सरवनन)

अवर सचिव (टीपीएल)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं का.आ.1418 (अ) तारीख 30/05/2014 द्वारा किया गया ।